

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/ 5102
प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 27.08.24


1 सताराम पुत्र पुरखाराम
जाति जाट निवासी
कुम्भावास ग्राम पंचायत
गालाबेरी तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर

अप्रार्थीगण
1 मेगाराम पुत्र सुखाराम 2 भगवानाराम 3 अचलाराम
4 कौशलाराम पिरारान पुरखाराम जाति जाट निवासी
कुम्भावास (गालाबेरी) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 14/2023 दिनांक- 22.08.24

आदेश

उपर्युक्त प्रकरण मौजा कुम्भावास पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 876/388 रकबा 3.3265 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदर-सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/ 5103-06

दिनांक- 27.08.24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी सताराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कुम्भावास ग्राम पंचायत गालाबेरी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मेगाराम पुत्र सुखाराम वगैराह जाति जाट निवासी कुम्भावास (गालाबेरी) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर